राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 42/2010/अलवर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन–प्रथम, जोन–तृतीय,
जयपुर .....अपीलार्थी

बनाम

श्री विनोद कुमार पुत्र श्री भगवानसहाय शर्मा,
कल्याणपुरा, तहसील बांसुर, अलवर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी राजस्व की ओर से
प्रत्यर्थी अनुपस्थित

निर्णय दिनांक : 09/11/2016

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 92/आरवैट/एनआरडी/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 04.06.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता–अष्टम, राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.10.2008 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(9) के तहत आरोपित शास्ति 3,95,796/– को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता–अष्टम, राजस्थान, जयपुर दिनांक 14.08.2008 को वाहन संख्या HR-38-J/5905 को चैक किया एवं वाहन चालक/माल प्रभारी से परिवहनित माल से संबंधित दस्तावेजात मांगे गये। इस पर वाहन चालक/माल प्रभारी श्री विनोद कुमार शर्मा पुत्र भगवान सहाय शर्मा द्वारा वांछित दस्तावेजात के रूप में मैसर्स न्यू भीमेंश्वर ट्रांसपोर्ट कम्पनी, अहमदाबाद का चालान संख्या 116 व 117 दिनांक 13.08.2008 व उसमे दर्ज बिल्टियाँ मय बिलों के प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच पर परिवहनित माल राज्य के बाहर दिल्ली से असलाली के लिये था परन्तु बिल्टियों के साथ संलग्न बिल संदेहास्पद पाये जाने पर संलग्न दस्तावेजों में माल प्रेषक एवं प्रेषिति के पंजीयन क्रमांक के सत्यापन तथा परिवहनित माल के भौतिक सत्यापन हेतु वाहन को नियमानुसार निरूद्व करते हुए वाहन चालक/माल प्रभारी को माल प्रेषक एवं प्रेषिति के सत्यापन व माल के भौतिक सत्यापन हेतु नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। भौतिक सत्यापन पर कर योग्य माल कीमतन रूपये 13,19,319/– का पाया गया। प्रस्तुत जवाब में वाहन चालक ने माल दिल्ली से अहमदाबाद के लिये परिवहनित होना जाहिर करते हुये सहभागिता से इन्कार किया। सशक्त अधिकारी द्वारा अपीलार्थी द्वारा मिथ्या एवं कूटरचित दस्तावेजों के जरिये माल परिवहनित करने के कृत्य को अधिनियम की

लगातार.....2

धारा 76(2) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन मानते हुये अधिनियम की धारा 76(9) के अंतर्गत शास्ति रूपये 3,95,796/– आरोपित की गई। उक्त पारित आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 04.06.2009 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी–राजस्व द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

3. राजस्व पक्ष की बहस सुनी गई। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं रहा।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए, उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. राजस्व पक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियोग पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजों के अनुसार परिवहनित माल राज्य बाहर दिल्ली से राज्य बाहर गुजरात के लिये था एवं परिवहनित माल के साथ वांछित बिल एवं बिल्टी दोनों मौजूद थे। सशक्त अधिकारी द्वारा बिलों में अंकित माल प्रेषक व प्रेषति फर्मो की कोई जॉच नहीं की गई है व न ही माल प्रेषक फर्मो के पंजीयन क्रमांक जो कि बिलों पर अंकित थे, की कोई जॉच करवाई गई है तथा बिना किसी उचित आधार के माल प्रेषक व प्रेषिति फर्मो को डमी एवं बोगस मानते हुए विवादित माल राजस्थान राज्य का मान कर अपीलार्थी कर चोरी की नियत से माल परिवहनित करने का दोषी मानते हुए कर चोरी में सहभागिता मान कर दोहरी शास्ति आरोपण की कार्यवाही की गई है, जबकि सशक्त अधिकारी द्वारा घोषित प्रेषक एवं प्रेषितियों को किसी भी जांच से गलत प्रमाणित नहीं किया गया है।

6. अपीलीय अधिकारी द्वारा वक्त सुनवाई के प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट प्रमाणित है कि वाहन व माल राज्य की सीमा बाहर गुजरात राज्य में अपने गंतव्य स्थान पर पहुॅच गया है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि परिवहनित माल राज्य बाहर दिल्ली से राज्य बाहर गुजरात के लिये था व उक्त माल का राजस्थान राज्य से कोई सरोकार नहीं था।

7. अतः अपीलीय अधिकारी ने आरोपित शास्ति को अपास्त करने में कोई विधिक भूल नहीं की है।

फलतः राजस्व द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश 04.06.2009 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष